# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग

### आदेश

**सं० सं०–17/विविध 1–219/2024** **पटना, दिनांक :– / /2026**

डा० विभा रानी, सह–प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम–220A तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या–640 दिनांक–19.01.2015 के आलोक में आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले कुल–118 (एक सौ अठारह) दिनों के लिये शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय आदेश संख्या–121(17), दिनांक–04.02.2025 द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले कुल–88 दिनों के लिये शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदालोक में दिनांक–06.02.2025 से 04.05.2025 तक कुल–88 दिन शिशु देखभाल अवकाश का उपभोग किया गया है। अतएव डा० विभा रानी के पक्ष में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत कुल–642–118=524 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश आदेय रहेगी।

3. डा० विभा रानी, सह–प्राध्यापक को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0–5632, दिनांक–26.06.2015 की कंडिका–8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध करायी जाय।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
**(रेणु कुमारी)**
**विशेष कार्य पदाधिकारी**
**–सह–**
**संयुक्त सचिव।**

**ज्ञापांक–17/विविध 1–219/2024–** 1290(17) **पटना, दिनांक :–** 30/09 **/2026**

**प्रतिलिपि :–** महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** डा० विभा रानी, सह–प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/09/2026

**विशेष कार्य पदाधिकारी**
**–सह–संयुक्त सचिव।**